न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रेफरेन्स प्रार्थना प्रकरण संख्या – 6/2014

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

1. धापू पुत्री लादूनाथ, कैलाश पुत्र उगमनाथ जोगी जोगीनाड़ा अरांई रोड
2. कलावती देवी पत्नि श्री मदनलाल मालाकार नि0 बड़ी हथाई के पास नया शहर किशनगढ
3. विष्णुकांत स्वर्णकार पुत्र किशनलाल स्वर्णकार सोनी नि0 जामड़ो का मोहल्ला पुराना शहर किशनगढ
4. ग्राम पंचायत मालियो की बाड़ी
5. अम्बिका देवी (फोत) वारिस हरिप्रकाश पुत्र श्यामसुन्दर, लीला देवी पत्नि ओमप्रकाश व यशवन्त पि0 ओमप्रकाश कौम ब्राह्मण साकिन ब्रह्मपुरी पुराना शहर किशनगढ़
6. सुनिलनाथ पुत्र श्योरामनाथ कौम जोगी नाबालिग संरक्षक पि0 श्योरामनाथ जोगी निवासी जोगियो का नाड़ा अरांई रोड़
7. माना देवी पत्नि मोहनलाल जोगी नि0 जोगियो का नाड़ा अरांई रोड़
8. भंवरी देवी पत्नि बिशननाथ कौम जोगी साकिन जोगियों का नाड़ा अराई रोड
9. भोजराज पुत्र खींवराज कौम गुर्जर निवासी शिवाजी नगर मदनगंज
10. मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज वाकै ग्राम किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर शास्वत नाबालिग जरिये इसके पुजारी एवं मैनेजर चन्द्रमोहन गौड पुत्र स्व0 श्री गोपालाल जी गौड उम्र 40 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी पुराना शहर किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री ओमप्रकाश गुर्जर ऐडवोकेट राजकीय अभिभाषक
श्री अनुज टांक अभिभाषक अप्रार्थी 2,3, 6 से 8
श्री वी0एस0 भाटी अभिभाषक अप्रार्थी 10

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

आदेश

दिनांक –25.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम किशनगढ जिला अजमेर स्थित आराजी भूमि भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2010–19 के कॉलम नं0 3 नाम भोक्ता में मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह पुजारी हीरालाल वल्द रामपाल व छगनलाल वल्द रामधन व भूरजी वल्द सालगराम जी कौम ब्राह्मण सा0 देह पुजारी हि0ब0 के नाम व कॉलम नं0 5 नाम कृषक में जगरनाथ वल्द माधोनाथ जाति जोगी सा0 देह मजरा जोगियो का बाडा बापीदार के रूप में खाता संख्या 536 पर दर्ज है। एकीकरण के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इसके एकीकरण खसरा नम्बर 2113, 2114 रकबा 31.02 बने है जो एकीकरण खाते में खाता नम्बर 710 में कॉलक नं0 3 में

जिला कलक्टर
अजमेर

नाम भोक्ता के कॉलम में मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह पुजारी हीरालाल वल्द रामपाल, छगन लाल वल्द रामधन व भूरजी वल्द सालगराम जी कौम ब्राह्मण पुजारी हि0ब0 के नाम व कॉलम नं0 5 नाम कृषक में लादूनाथ वल्द जगरनाथ कौम जोगी सा0 देह मजरा जोगियो का बाडा के नाम दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी में स्थित भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल अनुसार इसके वर्तमान खसरा नम्बर 2669, 2670 रकबा 31.02 बने है यह भूमि वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के खाता संख्या 636 में लादूनाथ पुत्र जगन्नाथ कौम जोगी सा0 जोगी नाड़ा के नाम दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी में मन्दिर का नाम विलोकित किया जाकर अप्रार्थीगणो की खातेदारी में अवैधानिक रूप से रिकार्ड में दर्ज कर दी गई है। जिला कलक्टर अजमेर के पत्र कमांक कअ/राजस्व/14/1820 दिनांक 17.02.2014 में दिये गये निर्देशो की पालना में मन्दिर मूर्ति अवयस्क होने से राज0 का0 अधि0 1956 की धारा 46(1) अ के तहत अन्य व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार नहीं होने से मन्दिर भूमि को अन्य व्यक्तियों में दर्ज करना प्रतिबन्धित श्रेणी में होने से निरस्त योग्य है। ग्राम किशनगढ के खसरा नम्बर 2669, 2670 कुल रकबा 31–02–00 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ में वाद संख्या 98/2014 व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2014 विचाराधीन है जिसमें भूमि हस्तानान्तरण व मौके की यथा स्थिति का अन्तिरिम अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की गई है। वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 में अप्रार्थीगणो की खातेदारी व पश्चात दर्ज नामान्तकरण संख्या 1173 दिनांक 04.07.11 नामा0 संख्या 1371 दिनांक 17.6.2014 नामा0 1128 दिनांक 4.11.10 को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 2,3, 6 से 8 की ओर से श्री अनुज टांक अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब पेश नहीं किए जाने से जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से श्री वी.एस.भाटी अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1,4,5,9 नोटिस तामिल बावूजद गैर हाजिर। पेरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर सुना गया।

पेरोकार सरकार ने सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकट किया कि राजस्व ग्राम किशनगढ जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2669, 2670 रकबा 31.02 है वर्तमान जमाबंदी के खाता नम्बर 323 खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.02 गै.मु. चाह खसरा नम्बर 2670 रकबा 19.12 किस्म बंजर 2– 10.19, बरानी ए 7.06, बरानी 1–1.02, बंजर 1–0.05 धापू पुत्री लादूनाथ, कैलाशनाथ पुत्र उगमनाथ कौम जोगी सा0 जोगियो का नाडा ब0 हि0 ब0 खातेदार ना0 सं0 1112 दिनांक 26.06.2010 रहन सम्पूर्ण खाता बैंक ऑफ बडौदा शाखा सिलोरा मुर्तहीन नामान्तकरण संख्या 1173 दिनांक 04.07.11 बैचान से खसरा नम्बर 2670/06 रकबा 4.00 पर श्रीमती कलावती देवी पत्नि मदनलाल कौम माली निवासी नया शहर किशनगढ दर्ज करना स्वीकृत व खसरा नम्बर 2670 का शेष रकबा 15.12 जमा बदस्तूर जारी, नामान्तकरण संख्या 1370 दिनांक 17.6.2014 रहन मुक्त से सम्पूर्ण खाता रहन मुक्त दर्ज करना स्वीकृत है। नामान्तकरण संख्या 1371 दिनांक 17.06.2014 बेचान से खसरा नम्बर 2670 रकबा 15–12–00 पर भोजराज पुत्र खींवराज जाति गुर्जर हि0 65/312 निवासी शिवाजी नगर मदनगंज किशनगढ दर्ज करना स्वीकृत है। व विक्रेता कैलाशनाथ पुत्र उगमनाथ का शेष हिस्सा 91/312 जमा बदस्तूर जारी है। खाता सख्या 314 खसरा नम्बर 2670/1 रकबा 4–08–00 किस्म

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

बंजर 2 मु0 अम्बिका देवी बैवा श्यामसुन्दर 1/6 हि0 हरिप्रकाश पुत्र श्यामसुन्दर 1/6 मु0 लीला देवी बैवा ओमप्रकाश व यशवन्त पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 1/6 कौम ब्राह्मण जगदीशनाथ जीवननाथ पि0 गंगानाथ व मु0 बिदाम बैवा गंगानाथ कौम जोगी हि0 1/2/ हि0ब0सा0 जोगियो का नाड़ा खातेदार, नामान्तकरण संख्या 1128 दिनांक 04.11.2010 बेचान से सम्पूर्ण खाते पर निम्नानुसार नवीन अंकन दर्ज करना स्वीकृत (1) विष्णुकांत स्वर्णकार पुत्र किशनलाल स्वर्णकार जाति सोनी नि0 जामडो का मोहल्ला पुराना शहर किशनगढ तह0 किशनगढ जिला अजमेर खातेदार खसरा नम्बर 2670/1 रकबा 02–16–00 बं0 2 लगान 046 (2) ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी खातेदार खसरा नम्बर 2670/4 रकबा 1 बीघा बं0 2 लगान 015 (3) मु0 अम्बिका देवी बैवा श्यामसुन्दर कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार खसरा नम्बर 2670/5 रकबा 00–12–00 बं0 2 लगान 0.09 खाता नम्बर 517 खसरा नम्बर 2670/2 रकबा 03–00–00 किस्म बारानी 1 सुनील नाथ पुत्र श्योराम नाथ कौम जोगी ना0बा0 संरक्षक पि0 श्योराम नाथ कौम जोगी सा0 जोगियो का नाडा खातेदार, खाता संख्या 311 खसरा नम्बर 2670/3 रकबा 04–00–00 बंजर 1 माना देवी पत्नि मोहननाथ कौम जोगी हि0 3/4 भंवरी देवी पत्नि बिशननाथ कौम जोगी हि0 1/4 सा0 जोगियो का नाड़ा खातेदार अंकित है। भूमि भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2010–19 के कॉलम नं0 3 नाम भोक्ता में मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह पुजारी हीरालाल वल्द रामपाल व छगनलाल वल्द रामधन व भूरजी वल्द सालगराम जी कौम ब्राह्मण सा0 देह पुजारी हि0 बराबर के नाम व कॉलम नं0 5 नाम कृषक में जगरनाथ वल्द माधोनाथ जाति जोगी सा0 देह मजरा जोगियो का बाडा बापीदार के रूप में खाता संख्या 536 पर दर्ज है। एकीकरण के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इसके एकीकरण खसरा नम्बर 2113, 2114 रकबा 31.02 बने है जो एकीकरण खाते में खाता नम्बर 710 में कॉलक नं0 3 में नाम भोक्ता के कॉलम में मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह पुजारी हीरालाल वल्द रामपाल, छगन लाल वल्द रामधन व भूरजी वल्द सालगराम जी कौम ब्राह्मण पुजारी हि0ब0 के नाम व कॉलम नं0 5 नाम कृषक में लादूनाथ वल्द जगरनाथ कौम जोगी सा0 देह मजरा जोगियो का बाडा के नाम दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी में स्थित भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल अनुसार इसके वर्तमान खसरा नम्बर 2669, 2670 रकबा 31.02 बने है यह भूमि वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के खाता संख्या 636 में लादूनाथ पुत्र जगन्नाथ कौम जोगी सा0 जोगी नाडा के नाम दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी में मन्दिर का नाम विलोपित किया जाकर अप्रार्थीगणो की खातेदारी में अवैधानिक रूप से रिकार्ड में दर्ज कर दी गई है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/राजस्व/14/1820 दिनांक 17.02.2014 में दिये गये निर्देशो की पालना में मन्दिर मूर्ति अवयस्क होने से राज0 का0 अधि0 1955 की धारा 46(1) अ के तहत अन्य व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार नहीं होने से मन्दिर भूमि को अन्य व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार नहीं होने से मन्दिर भूमि को अन्य व्यक्तियों में दर्ज करना प्रतिबन्धित श्रेणी में हाने से निरस्त योग्य है। ग्राम किशनगढ के खसरा नम्बर 2669, 2670 कुल रकबा 31–02–00 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ में वाद संख्या 98/2014 व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2014 विचाराधीन है जिसमें भूमि हस्तानान्तरण व मौके की यथा स्थिति का अन्तिरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की गई है। वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 में अप्रार्थीगणो की खातेदारी व पश्चात दर्ज

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

नामान्तकरण संख्या 1173 दिनांक 04.07.11 नामा0 संख्या 1371 दिनांक 17.6.2014 नामा0 1128 दिनांक 4.11.10 को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत है।

अप्रार्थी संख्या 10 ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजी सम्वत 1839 तदानुसार सन 1896 से 37 बीघा आराजी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी वाके ग्राम किशनगढ के नाम से चली आ रही है। तत्पश्चात किशनगढ तहसील के प्रथम बन्दोबस्त में राजस्व कर्मचारियो की गलती एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज जगन्नाथ वल्द माधोनाथ जाति जोगी सा0 देह मजरा जोगियो का नाडा ने अपना नाम कृषक के कॉलम में अवधिक रूप से दर्ज करवा लिया गया। वादगस्त आराजी मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी को भोग सामग्री हेतु भेंट की गयी एवं मंदिर मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क होता है मंदिर की भूमि किसी खातेदार काश्त के नाम हस्तान्तरण नहीं की जा सकती जो हस्तान्तरण हुए है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 व धारा 46 के प्रावधानो के विरूद्ध है। अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से निरस्त किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस एवं रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अवलोकन अनुसार प्रश्नगत आराजी, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खतौनी बन्दोबस्त संवत 2010 से 2019 के खाता संख्या 535 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1586 रकबा 4 बीघा जो की मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के नाम दर्ज होकर सेवायत पुजारी हीरालाल वल्द रामपाल व छगनलाल वल्द रामधन व भूरजी वल्द सालगराम कौम ब्राह्मण बहैसियत पुजारी दर्ज है इसी प्रकार इसी जमाबंदी के खाता संख्या 536 में दर्ज खसरा नम्बरान क्रमशः 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा जो जमाबंदी के कॉलम संख्या 3 में यथावत उपरोक्तानुसार मन्दिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी के नाम दर्ज होकर सेवायत पुजारी हीरालाल वल्द रामपाल व छगनलाल वल्द रामधन व भूरजी वल्द सालगराम कौम ब्राह्मण बहैसियत पुजारी दर्ज है, चूंकि मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण शाश्वत अव्यस्क है। मूर्ति स्वयं भूमि पर काश्त नहीं कर सकती। अतः उसकी व्यवस्था पुजारी द्वारा की जाती है। व पुजारी स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मूर्ति मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि पर की गई काश्त मंन्दिर मूर्ति के लिये धारा–46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन उप–काश्तकार की हैसियत से की गई काश्त मानी जावेगी। ऐसे उप–काश्तकार को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार हस्तान्तरित नहीं हो सकते है। विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं कानूनी नजीरें RRT 2006(1) page 467-470, RRD 2000 page 229-231, RBJ (5)1998 page 384-391के RRD 1997 page 158-163 प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होतें है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उद्धरण मन्दिर भूमि के परिपेक्ष्य में उनकी मदद नहीं करते है। राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 के अनुसार हर एक मन्दिर पब्लिक ट्रस्ट है, जो Open for the Community at Large for Worship है। विधि अनुसार मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है, जो स्वयं काश्त करने की स्थिति में नहीं है और खुद ही पुजारी, व्यवस्थापक के जरिये या किसी अन्य व्यक्ति के जरिये अपनी भूमि पर काश्त करवाता है, क्योंकि वह स्वयं काश्त करने में असमर्थ हैं। अतः माफी रिज्यूम होने के समय भी मंदिर स्वयं काश्त न करता हो और मंदिर की खुदकाश्त में भूमि दर्ज न हो तो भी मंदिर की खुदकाश्त की भूमि मानी जावेगी (Deemed to be khudkast) और किसी भी पुजारी, सब–टीनेन्ट, जैली या कब्जेधारी व्यक्ति को खातेदारी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(25) के अन्तर्गत भूमि मूर्ति की खुद काश्त मानी जायेगी। मंदिर भूमि के खातेदारी अधिकार उसके कृषक को हस्तान्तरित नहीं हो सकतें है। कृषक के नाम खातेदारी इन्द्राज किया जाना पूर्णतया अवैधानिक है। उक्त अवैधानिक इन्द्राज के पश्चात किया गये विक्रय एवं उनके आधार पर किये गये इन्द्राज को भी विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता। फलस्वरूप प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत मंदिर भूमि श्री लक्ष्मीनारायण जी बाबत पारित अन्य खातेदारों के विक्रय/रहन/उपहार इत्यादि दर्ज समस्त नामान्तरकरण को अवैध एवं एब इनिशियोंवॉईड करार दिया जाने एवं ग्राम किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर के प्रश्नगत आराजी को राजस्व रेकार्ड में मुताबिक जमाबंदी खतौनी संवत 2010 से 2019 में दर्ज खाता संख्या 535 व 536 मे दर्ज खसरा नम्बरान् उक्त मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण के इन्द्राज अनुसार वर्तमान रेकार्ड में भी उक्त मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण का अंकन करने हेतु उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 25.06.2025 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर